Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.3982, Volume 07, No. 04, October, 2017, pp. 362-365

सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन का औचित्य–हैफेड एवं सहकारी बैंकों का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. कविता चौधरी*
डॉ. सुमन चौधरी**

सारांश

20वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में इस देश में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। ऐसी स्थिति में सहकारी चिन्तक यह सोचने को मजबूर हो गये कि वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने के लिए सहकारी संस्थाओं में कुशल एवं पेशेवर प्रबन्धन को अपनाना समय की मांग है। साथ ही सहकारी संस्थाओं का आकार, प्रकार एवं व्यावसायिक गतिविधियों में मूलभूत परिवर्तन आने लगा। सहकारी चीनी मिले, सुपर बाजार, इफको, कृभको जैसी सहकारी संस्थाएँ अपनी कार्यकुशलता एवं उत्पादन निष्पादन में काफी आगे बढ़ चुकी थी। अतः व्यावसायिक प्रबन्ध की अवधारणा का बड़े सहकारी उपक्रमों में अपनाया गया तथा इनके वांछित परिणाम भी सामने आये। पेशेवर प्रबन्ध के अच्छे परिणामों के फलस्वरूप इससे सहकारी विपणन समितियों, उपभोक्ता भण्डारों एवं सहकारी बैंकों में भी अपनाया जाने लगा। कुशल प्रबन्ध के फलस्वरूप कई सहकारी बैंक घाटे की स्थिति से मुक्त होकर लाभ अर्जित करने की स्थिति में आ गये।

सहकारी आन्दोलन की अवधारणा उतनी ही पुरानी हे जितनी की मानव सभ्यता। यह सर्वमान्य सत्य है कि प्रारंभिक मानव ''आदम'' भोजन की व्यवस्था करता था और ''हौवा'' उसकी सहायता करती थी। यह तथ्य प्रारम्भ से ही मानव प्रकृति में सहयोग एवं सह कार्य की प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करता है। कालान्तर में जब सामूहिक जीवन की परम्परा स्वीकार की गयी एवं मानव सभ्यता का सूत्रपात हुआ, तब स्वच्छापूर्वक पारिस्परिक सहयोग एवं सहकारिता की प्रथा सबके द्वारा एक महान् शक्ति के रूप में स्वीकार की गई। मानव स्वभाविक रूप से मिलनसार, सहयोगी एवं सहकर्मी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला रहा है। सहकारिता की मूल अवधारणा साथ मिलकर कार्य करने एवं सकारात्मक सोच की रही है। प्राचीनतम सम्यताओं जैसे– रोम की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मिस्त्र की सभ्यता आदि में वित्तीय लेने देने का कार्य सहकारी साख समितियों के माध्यम से होता था तथा शादी–विवाह, कृषि कार्य एवं समस्त सामाजिक कार्य सहकारिता की अवधारणा एवं दर्शन से ओतप्रोत थे।

सहकारी संस्थाएँ पारस्परिक सहायता द्वारा आत्मयिक सहायता, लोकतंत्र, समानता एवं न्याय के आदर्श पर कार्य करती है। यह एक आर्थिक–सामाजिक आंदोलन है जिसका लक्ष्य मानव समुदाय की सेवा करना है न कि लाभ कमाना। सहकारिता का वैधानिक रूप से भारत में सन् 1904 में प्रारंभ हुआ था, जब सहकारी साख अधिनियम इस देश में पारित हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप भारतवर्ष में सहकारी साख समितियों की औपचारिक शुरूआत का सिलसिला प्रारम्भ हुआ। सहकारिता की प्रारम्भिक सफलताओं के मध्यनजर इनके कार्य क्षेत्र को व्यापक एवं विस्तृत आधार प्रदान कारने की आवश्यकता महसूस की गयी। इसे अमलीजामा पहनाने

* व्याख्याता, डाइट, मदिना, रोहतक, हरियाणा।
** सहायक प्रोफेसर, ई.ए.एफ.एम. विभाग, एस.एस.जैन पी.जी. महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

के लिए 1912 में एक व्यापक सहकारी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में सहकारी साख के संघात्मक ढाँचे को विकसित करने, सहकारी विपणन, उपभोक्ता सहकारिता एवं गृह निर्माण सहकारी समितियों के गठन की व्यवस्था का सूत्रपात हुआ।

वर्तमान में सहकारी साख एवं विपणन संस्थाएँ कृषि एवं ग्रामीण विकास में महत्ती भूमिका निभा रही है। साख संस्थाएँ कृषक वर्ग एवं ग्रामीण समुदाय के लोगों को अल्पकालीन, मध्यमकालीन एवं दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने में महत्ती भूमिका निभा रही है। यह सहकारी समितियाँ एक ओर कृषक वर्ग का सही समय पर उचित मात्रा में न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है तथा दूसरी ओर कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। इन सहकारी संस्थाओं द्वारा सुपरिभाषित एवं सुस्पष्ट कार्य योजना के अन्तर्गत कार्य करते हुए सामान्यतः ग्रामीण लोगों एवं विशेषकर कृषक वर्ग को साहूकारों एवं पूँजीपतियों के चंगुल से मुक्ति करवाने की दिशा में अहम भूमिका निभायी है। दूसरी ओर कृषक वर्ग के खून पसीने से उत्पादिक कृषि फसलों का उचित एवं लाभदायिक मूल्य दिलवाने के लिए सहकारी विपणन समितियों प्रतिबद्ध है।

हरियाणा राज्य में सहकारी विपणन की शीर्ष संस्था को ''हैफेड'' के नाम से जाना जाता है। हैफेड एक ओर कृषि विपणन व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करता है तथा दूसरी ओर कृषि विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए ग्रामीण गोदामों, भण्डारण गृहों एवं शीत भण्डारों का निर्माण कर कृषि विपणन की आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करता है। साथ ही यह संस्था अपने अधीन कार्यरत सहकारी विपणन समितियों के माध्यम में शुद्ध उपभोक्ता सामग्री गाँव–गाँव एवं ढ़ाणी–ढ़ाणी एवं दूरदराज के क्षेत्रों में उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाता है। हैफेड उच्च किस्म के कृषि निष्पाद यथा–उन्नत बीज, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों की उचित मूल्य पर आपूर्ति करने के लिए प्रतिबंद्ध है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कृषि विपणन व्यवस्था में हैफेड की भूमिका का मूल्यांकन करना है। अन्य उद्देश्य इस प्रकार हैः–

- सहकारी बैंकों एवं कृषि साख समितियों की संस्थागत साख व्यवस्था में भूमिका का अवलोकन करना।
- सहकारी साख की सहकारी विपणन से सम्बद्धता का अवलोकन करना।
- सहकारी संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन की अवधारणा का अवलोकन करना।

परिकल्पना

- सहकारी संस्थाओं के प्रबन्धन में पेशेवर प्रबन्धन की आवधारणा को समान्यतः नहीं अपनाया जाता है।
- सहकारी वित्त एवं विपणन की सम्बद्धता की अवधारणा सफल नहीं हुई है।

समंक संकलन

इस अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीय समंकों का प्रयोग हुआ है। प्राथमिक समंक सामान्यतः व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं स्थिति अवलोकन पद्धति से प्राप्त किये गये है। द्वितीयक समंक सहकारी साख एवं विपणन समितियों के वार्षिक प्रतिवेदन, आन्तरिक दस्तावेजों, सहकारिता क्षेत्र की प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिकाओं, वेबसाइट्स एवं अन्य प्रकाशित सामग्री से प्राप्त किये गये है। उपलब्ध समंकों का सामान्य गणितीय एवं सांख्यिकी पद्धतियों का प्रयोग करते हुए उचित निष्कर्ष निकाले गये है।

साहित्य सर्वेक्षण

सहकारी विपणन एवं सहकारी साख पर विभिन्न विद्धानों, शोधार्थियों एवं सहकारी चिन्तकों ने कई अध्ययन आयोजित किये है लेकिन हैफेड एवं सहकारी बैंकों की प्रबन्ध व्यवस्था पर बहुत कम सारगर्भित अध्ययनों का उल्लेख मिलता है। इस क्रम में कतिपय अध्ययनों का संक्षित विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। डी.आर. जाट (2001) द्वारा ''राजफेड एक व्यापारिक गृह'' विषय पर आयोजित अध्ययन में राजफैड की कार्यप्रणाली एवं कृषि विपणन व्यवस्था में इसके योगदान पर प्रकाश डाला गया है। यह बतलाया गया है कि सहकारी विपणन

संस्थाओं की कृषि विपणन व्यवस्था में विशेष भूमिका नही रही है। कविता चौधरी (2017) में हैफेड की कार्यप्रणाली पर आयोजित अध्ययन में इसके द्वारा कृषि निष्पाद आपूर्ति, कृषि विपणन एवं उपभोक्ता सामग्री वितरण में इस संस्था की महत्ता पर प्रकाश डाला है। डी.राम (1987) ने नैफेड की कृषि विपणन व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुये यह बतलाया गया है कि कृषि विपणन व्यवस्था में इसकी कारगर भूमिका नहीं रही है। दमन प्रकाश (2011) द्वारा ''सहकारिता के समावेशित विकास में प्रबन्धन के व्यावसायीकरण'' विषय पर आयोजित अध्ययन में बतलाया गया है कि सहकारी संस्थाओं का कार्यक्षेत्र व्यापक हो गया है तथा निजी क्षेत्र की चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए इन संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्धन की सवाऐं लेना अनिवार्य हो गया है।

सहकारिता आन्दोलन के प्रारंभिक वर्षों में इसका आकार एवं कार्यक्षेत्र सीमित था तथा इन संस्थाओं द्वारा किये गये व्यवसाय की मात्रा बहुत कम थी। अतः इन संस्थाओं के कार्य निष्पादन में कुशल प्रबन्ध की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी तथा माना गया था कि सहकारिता के सिद्धान्त ही सहकारी संस्थाओं के कार्य संचालन में सक्षम है। कुशल प्रबन्ध व्यवस्था को न अपनाने के पीछे एक कारण यह भी था कि इस आन्दोलन को सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया था। अतः सहकारी समितियों प्रबन्ध के लिए सरकार पर निर्भर थी। इस आन्दोलन का मुख्य लक्ष्य सेवा करना था न कि लाभ कमाना। ऐसा माना जाता था कि कुशल प्रबन्ध लाभ कमाने के लिए अपनाया जाता था।

20वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में इस देश में आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति को अपनाया गया। ऐसी स्थिति में सहकारी चिन्तक यह सोचने को मजबूर हो गये कि वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करने के लिए सहकारी संस्थाओं में कुशल एवं पेशेवर प्रबन्धन की सेवाऐं लेना समय की मांग है। साथ ही सहकारी संस्थाओं का आकार, प्रकार एवं व्यावसायिक गतिविधियों में मूलभूत परिवर्तन आने लगा। सहकारी चीनी मिले, सुपर बाजार, इफको, कृभको जैसी सहकारी संस्थाएँ अपनी कार्यकुशलता एवं उत्पादन निष्पादन में काफी आगे बढ़ चुकी थी। अतः व्यावसायिक प्रबन्ध को अवधारणा का बड़े सहकारी उपक्रमों में अपनाया गया तथा इनके वांछित परिणाम भी सामने आये। पेशेवर प्रबन्ध के अच्छे परिणामों के फलस्वरूप इसे सहकारी विपणन समितियों, उपभोक्ता भण्डारों एवं सहकारी बैंकों में भी अपनाया जाने लगा। कुशल प्रबन्ध के फलस्वरूप कई सहकारी बैंक एवं अन्य संस्थाऐं घाटे की स्थिति से मुक्त होकर लाभ अर्जित करने की स्थिति में आ गये।

सहकारी संस्थाओं की प्रकृति, इनकी व्यावसायिक गतिविधियों, एवं जटिल व्यावसायिक ढ़ाँचे के मध्यनजर इन संस्थाओं में एक ओर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाने लगी तो दूसरी ओर वित्तीय विशेषज्ञों, विपणन विशेषज्ञों एवं चार्टड एकाउन्टेंट आदि की सेवाऐं भी परामर्शदाता के रूप में ली जाने लगी। विशेषज्ञों की सेवाऐं मिलने के बाद इन सहकारी संस्थाओं ने तीव्र गति से प्रगति करते हुए निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षमता प्राप्त की। यद्यपि सहकारी संस्थाऐं स्वैच्छिक संगठन है तथा यह एक आर्थिक–सामाजिक आन्दोलन के रूप में कमजोर तबके के लोगों का सशक्त बनाने के लिए प्रतिबन्ध है लेकिन इस आन्दोलन को गति प्रदान करने एवं नवाचार की अवधारणा का मजबूती से लागू करने के लिए इन संस्थाओं में पेशेवर प्रबन्ध समय की मांग हो गयी है।

समिति के संसाधनों का प्रभावशाली एवं कुशलतम प्रयोग पेशेवर लोगों की सेवाएँ लेन से ही संभव है। पेशवर प्रबन्धक को विशेष ज्ञान होता है, कार्य निष्पादन कुशलता से करते है, तथा प्रबन्धक विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते है। पेशेवर प्रबन्धक द्वारा श्रेष्ठ प्रबन्ध संस्थानों में औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त होने की वजह से निश्चितरूप से इनमें सामयिक एवं तार्किक निर्णय लेने की क्षमता होती है। कुशल प्रबन्धन की वजह से ही प्रधानमंत्री जन धन योजना (2014) के सफल क्रियान्वयन में सहकारी बैंक अग्रणी भूमिका निभा रही है। इस योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन की नीति को साकार करने में काफी हद तक सहकारी बैंक सफल रही है। गाँव–गाँव एवं ढ़ाणी–ढाणी तक रहने वाले अनपढ़ लोगों तक यह बैंकें पहुँच कर उनके शून्य बैलेन्श पर बचत खाते खोलने में सफल रही है। इस क्रम में व्यापारिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहीं ज्यादा लोकप्रिय सहकारी बैंक है। कुशल एवं व्यावसायिक प्रबन्धन की वजह से हैफेड एवं सहकारी बैंकों की कार्यकुशलता एवं व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन आया है।

विचारणीय मुद्दे

यद्यपि बड़े आकार की सहकारी संस्थाओं एवं सहकारी बैंकों में व्यावसायिक प्रबन्धन की सेवाएँ लेना प्रारम्भ कर दी गई तथा इनके परिणाम भी उत्साहवर्द्धक रहे है लेकिन छोटे आकार की सहकारी साख एवं विपणन समितियों में वित्तीय संकट की वजह से पेशेवर प्रबन्धन की आवधारणा को अपनाना संभव नहीं हो पा रहा है।

सहकारी क्षेत्र में उच्च स्तरीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान न होने की वजह से सहकारी संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सही एवं समयबद्ध प्रशिक्षण दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। फलतः कर्मचारी वर्ग त्वरित गति से हो रहे परिवर्तनों को न तो सही तरह से समझ पाते है तथा नहीं इन जटिलता का समाधान करने की स्थिति में होते है। व्यक्तिगत सर्वेक्षण के समय यह तथ्य सामने आया कि न तो सहकारी संस्थाएँ वित्तीय भार की वजह से अपने कर्मचारियों को अच्छे प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित दिलवाना चाहते है तथा न ही कर्मचारियों की नवीन प्रशिक्षण लेने में कोई रूचि नज़र आयी है। यदि कोई सहकारी संस्था अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेज भी देती है तो वे कोई नयी चीज सिखने के बजाय प्रशिक्षण की औपचारिकता पूरी कर आ जाते है। ऐसी स्थिति के इनकी कार्यकुशलता एवं प्रबन्ध चातुर्य में अभिवृद्धि होना संदिग्ध लगता है।

समय आ गया है जब सहकारी बैंकों, सहकारी विपणन समितियों एवं सहकारी उपभोक्ता भण्डारों में कुशल, अनुभवी एवं योग्य प्रबन्धकों को सुस्पष्ट भर्ती नीति के अन्तर्गत नियुक्त किया जावें। कुशल कर्मचारी सहकारी संस्थाओं की सफलता की प्रथम सीढ़ी है। एक बार योग्य एवं कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने के पश्चात् समय–समय पर आवश्यकतानुसार वर्तमान परिवर्तनों एवं चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए अच्छे प्रबन्ध संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये ताकि उनके ज्ञान से वांछित स्तर पर अभिवृद्धि की सके। इस क्रम में सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की सक्रिय सहभागिता भी आवश्यक है। सक्रिय सदस्य एवं योग्य तथा कुशल कर्मचारी मिलकर सहकारी बैंकों एवं अन्य संस्थाओं के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सकते है, कुशल एवं पेशेवर प्रबन्धक तथा इन संस्थाओं को चहुँमुखी विकास की ओर अग्रसर करने एवं वांछित सफलता प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकते है।

संदर्भ

- हैफेड, वार्षिक प्रतिवेदन, 2005–06 से 2015–16।
- राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक, वार्षिक प्रतिवेदन 2005–06 से 2015–16।
- दी कोआपरेटर (नयी दिल्ली), विभिन्न अंक।
- इण्डियन कॉआपरेटिव रिव्यू (नयी दिल्ली), विभिन्न अंक।
- इन्सपायरा–जर्नल ऑफ मोर्डन मैनेजमेंट एण्ड एन्टरप्रिनोयरशिप (जयपुर), विभिन्न अंक।
- इन्सपायरा–जर्नल ऑफ कॉमर्स, इक्नोमिक्स एण्ड कम्प्यूटर साइन्स (जयपुर), विभिन्न अंक।

❑❑❑